धारा-55. सहकारी समितियों को राज्य की सहायता देने की अन्य रीतियॉ.- तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार-

(क) सहकारी समितियों को ऋण या अग्रिम (एडवान्स) दे सकती है,

(ख) सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान एवं ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति (गारन्टी) दे सकती है,

(ग) किसी सहकारी समिति को दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दे सकती है, और

(घ) किसी सहकारी समिति को किसी भी अन्य रीति से, जिनमें राज्य सहायताएं भी सम्मिलित हैं, वित्तीय सहायता दे सकती है।